न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता (आर ए एस)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 3 / 2021

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र पोखर जाति भांबी नि0 ग्राम बाघसुरी, नसीराबाद
   —— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री फारूक खत्री

बनाम

1. जडाव पुत्री नंदा
2. जसोदा पत्नी नंदा
3. रामेश्वरी पुत्री नंदा
4. रामस्वरूप पि0 नन्दा जाति भांबी नि0 बाघसुरी, नसीराबाद,
5. मैनेजर यूनियन बैंक आफॅ इण्डिया शाखा भवानीखेडा,
6. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 5 अनुपस्थित
6 जरियें राज0 पैरोकार

7. पारसी पुत्री पोखर,
8. बाबूलाल पुत्र पोखर जाति भांबी नि0 बाघसुरी, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— अनुपस्थित

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :— 2.5.23

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 2007 रकबा 0.40 व 2021 रकबा 0.07 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता विधमान नही है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु अपने खेतों पर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खातेदारी खसरा नम्बर 2022 रकबा 0.13 व सिवायचक खसरा नम्बर 2023 रकबा 0.07 में से आवागमन करता है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु कोई अन्य रास्ता विधमान नही है। अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2022 व 2023 में से 30 फिट चौडा रास्ता प्रदान किया जावे। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में भी अंकित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:00:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 से 8 बावजूद तामील प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया गया। ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 2007 रकबा [illegible] व [illegible] रकबा 0.07 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की खातेदारी की है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 से 8 के नाम खातेदारी दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 2022 रकबा 0.13 अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी है जो राजस्व अभिलेख में भी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 2023 सिवायचक है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 2021 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 2022 में से रास्ता दर्शाया गया है। उक्त रास्ते हेतु खसरा नम्बर 2022 में से 60 मीटर चौडा व 6 मीटर लम्बा कुल 360 वर्ग मीटर भूमि ली जानी है। व खसरा नम्बर 2023 में से 22 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा रास्ता प्रस्तावित किया है। खसरा नम्बर 2022 में [illegible] के कारण रास्ता घुमा कर प्रस्तावित किया है। रिपोर्ट अनुसार अन्य टेक्निकल रास्ते की उपलब्धता नही है। खसरा नम्बर 2022 अप्रार्थी संख्या 5 के नाम रहन है अप्रार्थी संख्या [illegible] व 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। बैंक आपनी ऋण राशि अन्य खसरा नम्बर से वसूल कर सकता है। खसरा नम्बर 2022 का भी आंशिक रकबा ही मार्ग में लिया जाना है। मौका रिपोर्ट अनुसार मुख्य मार्ग बाघसुरी नाहरपुरा सडक से खसरा नम्बर 2021 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2022 व 2023 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। प्रकरण में चाहा गया रास्ता की प्रार्थीगण को आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रार्थी को ग्राम बाघसुरी के खसरा नम्बर 2022 में से 60 मीटर चौडा व 6 मीटर लम्बा कुल 360 वर्ग मीटर व 2023 मे से 22 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा कुल 132 वर्ग मीटर रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। खसरा नम्बर 2022 की मुआवजा डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि 16614/ अक्षे सोलह हजार छः सौ चौदह रूपये अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व सिवायचक खसरा नम्बर 2023 की राशि 6408/ अक्षरे छः हजार चार सौ आठ रूपये राजकोष में भुगतान होने के बाद राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:00:29 IST
Reason: SelfAttested